सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री रमई राम
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वर्ष 2013 -2014
के बजट की मांग संख्या - 40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का

वक्तव्य

मार्च, 2013

वर्ष 2013–14 के बजट की माँग सं0–40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

भूमि प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, भू–अभिलेखों के नियमानुसार कालबद्ध रूप से निर्माण एवं संधारण तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों को आवश्यकतानुसार आवास एवं जीविकोपार्जन हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के नेतृत्व में जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

सुशासन के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा समाज के महादलित वर्ग के साथ–साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए भूमि का सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ प्रबन्धन प्रारम्भ कर दिया गया है।

1. **<u>महादलित विकास योजना</u>** : महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से राज्य में लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक / खास, गैरमजरूआ आम तथा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें

रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत 20000/– (बीस हजार) रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार कुल 197845 (एक लाख सनतानवे हजार आठ सौ पैंतालीस) वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

इस योजना के तहत अबतक कुल–64544 (चौंसठ हजार पांच सौ चौवालीस) वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती से लाभान्वित किया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 1938.51 एकड़ है। इसी प्रकार 30525 (तीस हजार पांच सौ पच्चीस) वासरहित महादलित परिवार को गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती के द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 749.45 एकड़ है। इस वित्तीय वर्ष में बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत कुल–42294 (बयालीस हजार दो सौ चौरानवे) महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1237.70 एकड़ है।

रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में 3286/– लाख (बत्तीस करोड़ छियासी लाख) रूपए का बजट उपबन्ध है। यह राशि सभी जिलों को अवशेष महादलित परिवार की संख्या के आलोक में आवंटित कर दी गयी है। इस वित्तीय वर्ष में अबतक 795.09 लाख(सात करोड़ पन्चानवे लाख नौ हजार) रूपए का व्यय किया गया है। इस मद में अबतक कुल–32961 (बतीस हजार नौ सौ इकसठ) वासरहित महादलित परिवारों को 03 डिसमिल प्रति परिवार के दर से रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल सन्निहित रकबा 988.91 एकड़ भूमि है।

विभिन्न भूमि स्रोतों से अबतक कुल मिलाकर 170324 (एक लाख सत्तर हजार तीन सौ चौबीस) महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती से आच्छादित महादलित परिवार

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
66167	64544	1938.51	97.55

गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती से आच्छादित महादलित परिवार

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
36655	30525	749.45	83.28

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत भूमि की बन्दोबस्ती से आच्छादित महादलित परिवार

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
41374	42294	1237.70	102.22

रैयती भूमि के क्रय द्वारा आच्छादित वासरहित महादलित परिवार

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
53649	32961	988.91	61.44

सभी चारों भूमि स्रोतों से वासभूमि रहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के समग्र लक्ष्य के विरूद्ध कुल उपलब्धि

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
197845	**170324**	**4914.57**	**86.09**

2. पुनःसर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण) :

महादलित विकास योजनान्तर्गत प्रथम चरण के सर्वेक्षण के दौरान जो परिवार किसी कारणवश छूट गए थे, अथवा इस दौरान वयस्क होकर पृथक परिवार के रूप में स्थापित हो गए हैं, का पुनर्सर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण) कराया गया है। पुनर्सर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण) के दौरान कुल–45,842 (पैतालीस हजार आठ सौ बयालीस) वासभूमि रहित महादलित परिवार चिन्हित किए गए हैं।

3. (i) गृह स्थल योजना :

राज्य में सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर), अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर–I तथा एनेक्सर–II के वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें सरकारी भूमि अथवा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिए 20000.00 (बीस हजार) रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु गृहस्थल योजना राज्य में लागू हो गई है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 500.00 (पांच सौ) लाख रूपए का आवंटन राज्य के जिलों को उपलब्ध कराया गया है। अबतक जिलों द्वारा कुल–70.05352 (सत्तर लाख पांच हजार तीन सौ बावन) लाख रूपए का व्यय कर कुल–351 परिवारों को इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराई गई है।

गृहस्थल योजनान्तर्गत उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2012–13

वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2012–13 में अबतक व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	भौतिक उपलब्धि	
		लाभान्वित परिवारों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
500.00	70.05352	351	10.53

3. (ii) सम्पर्क सड़क योजना

सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम/टोले/मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि के अर्जन के लिए जिलों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में 425.62 लाख(चार करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार) रूपए आवंटित की गई है। आवंटित राशि के विरूद्ध अबतक 47.41514 लाख(सैंतालीस लाख इकतालीस हजार पांच सौ चौदह) रूपए का व्यय किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अबतक 121 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 120 ग्राम/टोले/मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	इस योजना के तहत प्रारम्भ से अबतक पूर्ण हो गयी योजनाएँ	ग्राम/टोले/मोहल्ले की संख्या जिन्हें सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया
425.62	47.41514	121	120

3.(iii) सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजना

सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजनान्तर्गत राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए गृहस्थल हेतु रैयती भूमि के क्रय एवं अनुसूचित जाति के ग्रामों/टोलों/मोहल्लों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए रैयती भूमि के अर्जन दोनों योजना सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में वित्तीय वर्ष 2012–13 में 74.38 (चौहत्तर लाख अड़तीस हजार) लाख रूपए का बजट उपबन्ध रहने के कारण अनुसूचित जाति के लिए गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु राज्य के जिलों को 74.38 (चौहत्तर लाख अड़तीस हजार) लाख रूपए की राशि आवंटित कर दी गई है।

4. बिहार भूमि न्यायाधिकरण :

बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 राज्य में लागू है। इस अधिनियम की धारा–4 **(i)** के अधीन अध्यक्ष, सदस्य (न्यायिक) एवं सदस्य (प्रशासनिक) की नियुक्ति वित्तीय वर्ष, 2011–12 में की गई है तथा उनके द्वारा

कार्यों का सम्पादन भी किया जा रहा है। बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से 11/ऑफ पोलो रोड, पटना स्थित सरकारी भवन में क्रियाशील है।

5. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत वादों का निष्पादन :

उपर्युक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार उप समाहर्त्ता भूमि सुधार हैं। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय में कुल 29649 (उनतीस हजार छः सौ उनचास) वाद दायर हुए हैं जिसमें कुल–20296 (बीस हजार दो सौ छियानवे) वादों का निष्पादन अब तक किया जा चुका हैं। निष्पादन का प्रतिशत 68.45 हैं। शेष वाद निष्पादन की प्रक्रिया में है।

6. नये अधिनियम/नियमावली/नीति :

(i) बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 ।

(ii) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 ।

(iii) बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।

(iv) बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।

(v) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।

(vi) बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।

(vii) बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।

(viii) बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।

7. सरकारी भूमि का अन्तरण :

वित्तीय वर्ष 2012–13 में अबतक स्वीकृत भूमि हस्तानान्तरण के 93 मामलों में विभागों/निगमों एवं अन्य संस्थाओं को 589.10985 एकड़ (589 एकड़ 10 डि0) भूमि हस्तान्तरित की गई है।

8. दाखिल–खारिज :

दाखिल–खारिज वादों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया है कि प्रत्येक अंचल में प्रत्येक माह के द्वितीय तथा चतुर्थ मंगलवार को

राज्य के सभी अंचलों में हल्का स्तर पर राजस्व शिविर आयोजित कर मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाए। नामान्तरण की कार्रवाई पारदर्शी, प्रभावी एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य से निबन्धन कार्यालयों से अंचल अधिकारीगण को एल0 एल0 आर0 की नोटिस के साथ निबन्धित दस्तावेज की प्रति भी प्राप्त कराने का आदेश दिया गया है, ताकि विहित प्रक्रियानुसार नोटिश देते हुए अंचलाधिकारी नामान्तरण की कार्रवाई अविलम्ब प्रारम्भ करें। नामान्तरण के पश्चात शुद्धि पत्र निर्गत किया जाने, जमाबन्दी कायम करते हुए मालगुजारी रसीद प्राप्त कर हल्का कर्मचारी को मांग पंजी में वांछित सुधार कराने का निर्देश दिया गया है। दाखिल–खारिज की वर्षवार उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

वित्तीय वर्ष	निष्पादित वादों की संख्या
2007–08	803973
2008–09	974528
2009–10	891618
2010–11	642564
2011–12	754402
2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक)	**1177066**

9. <u>सैरात</u> :

वर्ष 2007–08 में कुल–5954 सैरातों में बन्दोवस्ती सैरातों की संख्या–3787 एवं राशि 460.30 लाख (चार करोड़ साठ लाख तीस हजार) रूपया है। वर्ष 2008–09 में कुल सैरातों की संख्या–6071 में से बन्दोवस्ती सैरातों की संख्या–4422 एवं राशि 605.15 लाख (छः करोड़ पॉच लाख पन्द्रह हजार) रूपया है। वर्ष 2009–10 में कुल सैरातों की संख्या–7928 में से बन्दोवस्ती सैरातों की संख्या–4406 एवं राशि 916.42 लाख(नौ करोड़ सोलह लाख बयालीस हजार) रूपया है। वर्ष 2010–11 में कुल सैरातों की संख्या–6927 में से बन्दोवस्ती सैरातों की संख्या–3368 एवं राशि 946.11 लाख (नौ करोड़ छियालीस लाख ग्यारह हजार) रूपया है। वर्ष 2011–12 में कुल सैरातों की संख्या–6903 में से बन्दोवस्त सैरातों की संख्या 3607 एवं राशि 102.33 लाख (एक करोड़ दो लाख तैंतीस हजार) रूपये है। वर्ष 2012–13 (अक्टूबर 2012) में कुल सैरातों की संख्या–6095 में से बन्दोवस्त सैरातों की सं0–2743 एवं राशि 109.33 लाख (एक करोड़ नौ लाख तैतीस हजार) रूपया है।

10. <u>भू–लगान</u> :

भू–लगान की वसूली न सिर्फ़ राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वरन् लगान रसीद भूमि संबंधी विवादों के निष्पादन एवं सामाजिक शांति बनाये रखने में भी अहम भूमिका अदा करता है। वर्ष–2007–08 में कुल माँग 100 करोड़ के विरूद्ध 27.46 करोड़ रूपये की वसूली की गई है जो लक्ष्य का 27.46 प्रतिशत है। वर्ष 2008–09 में कुल माँग 100 करोड़ के विरूद्ध 45.37 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो लक्ष्य का 45.37 प्रतिशत है। वर्ष 2009–10 में कुल माँग 110 करोड़ के विरूद्ध 39.16 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो लक्ष्य का 35.60 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 में कुल लक्ष्य 112 करोड़ के विरूद्ध 19.62 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 17.49 प्रतिशत है। वर्ष 2011–12 में कुल माँग 140 करोड़ के विरूद्व 28.03 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 20.02 प्रतिशत हैं। वर्ष 2012–13 में कुल माँग 185 करोड़ के विरूद्ध 43.55 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 23.54 प्रतिशत है।

11. <u>निलाम–पत्र वाद</u> :

वर्ष 2007–08 में कुल–22773 (बाईस हजार सात सौ तिहत्तर) निलाम पत्र वादों में 104.66 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2008–09 में कुल 106.77 करोड रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2009–10 में कुल 69.53 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2010–11 में कुल 49.65 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2011–12 में कुल 55.89 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2012–13 में कुल 100.81 करोड़ रूपये की वसूली की गई।

12. <u>भूमि बैंक</u> :

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में भूमि की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्विवाद है। सूचना प्राद्यौगिकी की सर्वव्यापी उपयोगिता के मद्देनजर भू–अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण सहित समग्र भूमि प्रबन्धन व्यवस्था में इसे समाहित करते हुए एक व्यापक भूमि संसाधन प्रबन्धन कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

13. भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम) :

इस योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण तथा खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व

में बढ़ोत्तरी होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितों की रक्षा की जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 में आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र प्रायोजित योजना नेशनल लैण्ड रिकार्डस मॉडरनाईजेशन प्रोग्राम : एन0एल0आर0एम0पी0 के अन्तर्गत आधुनिक तकनीक से राज्य के सभी जिलों के खतियान/मानचित्र को अद्यतन करने की योजना है। इस कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 में आधुनिक तकनीक से री–सर्वे मानचित्र तैयार करने का प्रावधान रखा गया है। आधुनिक तकनीक के रूप में हवाई फोटोग्राफी तथा जमीनी सत्यापन के मिश्रित विकल्प का चुनाव किया गया है। इस विकल्प का प्रयोग के तौर पर सर्वप्रथम नालन्दा जिला के कतरीसराय अंचल में परीक्षण किया गया। परीक्षण के फलस्वरूप हवाई फोटोग्राफी से तैयार किये गये री–सर्वे मानचित्रों को जमीनी सत्यापन के उपरान्त सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया है। उक्त मानचित्रों के आधार पर कतरीसराय अंचल के चार राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य भी पूरा कर लिया गया है एवं आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए मानचित्रों के सत्यापन के उपरांत भू–धारियों को अद्यतन अधिकार अभिलेख (खतियान) की आपूर्ति संबंधित भू–खंड की मानचित्र की प्रति के साथ प्राप्त करायी जाएगी।

कतरीसराय अंचल के परीक्षण के बाद राज्य के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का हवाई फोटोग्राफी से री–सर्वे मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इसके अन्तर्गत तीन अतिरिक्त तकनीकी रूप से दक्ष एजेंसियों का चुनाव कर लिया गया है। विभाग के पास पूर्व से एक एजेंसी उपलब्ध है। नवचयनित एजेंसियों के साथ एकरारनामा करते हुए जिला का आवंटन भी कर दिया गया है। इस प्रकार आधुनिक तकनीक से अद्यतन री–सर्वे मानचित्र के निर्माण हेतु लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सक्रिय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। इस कार्य हेतु 14994/= (चौदह हजार नौ सौ चौरानवे) रूपये प्रति वर्ग कि0मी0 (सभी कर सहित) की दर से 50–50 प्रतिशत केन्द्र एवं राज्य सरकार के अंशदान की राशि से व्यय का प्रावधान है।

आधुनिक तकनीक के उपयोग से तैयार किये गये भू–अभिलेखों के संधारण हेतु सभी अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार स्थापित किए जाएँगे। आधुनिक अभिलेखागार में भू–अभिलेखों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी संधारित की जाएगी।

इस कार्य हेतु अंचल स्तर पर भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य की लागत का व्यय भार राज्य योजना मद से वहन किया जाता है। अभी तक नालन्दा, सारण, भागलपुर, मुंगेर एवं शेखपुरा जिला के 70 अंचलों में भवन निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य योजना मद से 30.65 लाख (तीस लाख पैसठ हजार) रूपये प्रति अंचल के दर से राशि का व्यय किया जाता है। उक्त अभिलेखागारों के लिए आधुनिक उपकरणों का क्रय केन्द्रीय अंशदान की राशि से 12.50 लाख (बारह लाख पचास हजार) रूपये प्रति अंचल के दर से व्यय किया जाता है।

भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य के दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा भागलपुर का अद्यतन चालू खतियान का कम्प्यूटरीकरण करते हुए इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के शेष सभी जिलों के अद्यतन चालू खतियान का कम्प्यूटरीकरण करते हुए इसे विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

अद्यतन एवं कम्प्यूटरीकृत चालू खतियान को राजस्व मानचित्र के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि कागज पर तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कराया जाए। अभी तक भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर जिले के 14672 (चौदह हजार छः सौ बहत्तर) शीट तथा मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी अंचल के 1152 (एक हजार एक सौ बावन)शीट राजस्व मानचित्र का डिजिटाईजेशन कर मूल मानचित्र से सत्यापन कर लिया गया है। शेष राजस्व मानचित्रों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु कुल 04 एजेंसियों को कार्य आंवटित कर दिया गया है। दिसम्बर, 2013 तक शेष सभी राजस्व मानचित्रों को डिजिटाईज्ड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 1124/=(एक हजार एक सौ चौबीस) रूपये प्रति मानचित्र (सभी कर सहित) की दर से 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से व्यय का प्रावधान है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के अंतर्गत भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु विभाग को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन निबंधित सोसाईटी के रूप में किया गया है। इस सोसाईटी के लिए व्यय भार का वहन 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से किया जाता है। इस सोसाईटी में

अस्थायी रूप से तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार की सेवा प्राप्त की जाएगी जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विशिष्टताओं के उपयोग हेतु विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएँगें तथा योजनाओं के तकनीकी अनुश्रवण में भी आवश्यक सहयोग विभाग को उपलब्ध कराते रहेंगे।

विभिन्न प्रकार की योजनाओं की तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा है। इस कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग को नब्बे लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए एन0एल0आर0एम0पी0 सेल गठित करने हेतु एक करोड़ सतरह लाख रूपये का अनुदान विमुक्त किया गया है। इस राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु आधुनिक उपकरणों का क्रय बेलट्रॉन के माध्यम से करने के लिए क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में बोधगया स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण की भी योजना है जिसके लिए भवन निर्माण विभाग के माध्यम से तकनीकी प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है।

14. <u>(1) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर नियुक्ति</u> :

(i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में कुल 266 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक–597 दिनांक–05.10.2010 द्वारा भेजी गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। अन्तिम रूप से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

(ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी से अंचल निरीक्षक के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कुल 127 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभागीय पत्रांक–481 दिनांक– 16.11.2012 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराई गयी है। आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त कुल 127 राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

(2) राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत कुल 3917 पदों पर राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए अधियाचना विभागीय पत्रांक–454 दिनांक–26.10.2012 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त कुल 3917 राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

15. वित्तीय वर्ष 2012–13 यथा दिनांक 01.4.2012 से 31.12.2012 तक विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु अर्जित भूमि का विवरण

(क)

क्र0	परियोजना का नाम	कुल रकवा (एकड़ में)
1	2	3
1	रेलवे परियोजना	133.367
2	काँटी थर्मल पावर स्टेशन, मुजफ्फरपुर	31.245
3	पीरपैती थर्मल पावर, भागलपुर	11.75
4	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बेगूसराय	3.75
5	चौसा थर्मल पावर, बक्सर	9.19
6	कजरा थर्मल पावर, लखीसराय	36.35
7	एन0पी0जी0सी0, औरंगाबाद	312.127
8	पावर ग्रीड	13.0843
9	सशस्त्र सीमा बल (एस0 एस0 बी0)	80.95
10	बिहटा–सरमेरा रा0उ0 पथ, पटना	99.8817
11	चण्डी–सरमेरा रा0उ0 पथ, नालन्दा	65.4875
12	राज्य उच्च पथ सं0–28, 88 एवं 83	80.23775
13	रा0 उ0 पथ सं0–87 (रून्नीसैदपुर–विशवा) सीतामढ़ी	56.277
14	रा0 उ0 पथ सं0–86 (सरैया–मोतीपुर) मुजफ्फरपुर	16.8175
15	मेगा इन्डस्ट्रीयल पार्क, बिहटा, पटना	2.42
16	राज्य उच्च पथ (महम्मदपुर–छपरा), सारण	28.7775
17	रा0उ0 पथ (सकड्डी –नासरीगंज),भोजपुर	87.141
18	कावँरिया पथ, मुंगेर/बाँका	23.3
19	अधारभूत संरचना विकास, नालन्दा	262.265
20	पुल एवं उपगम पथ (गंगा सहित अन्य नदियों पर)	732.02
21	अन्य परियोजना	125.21615
	कुल योग :–	2211.6544

(ख) वित्तीय वर्ष, 2013–14 में अधियाची विभाग/प्राधिकार से प्राप्त होनेवाले अधियाचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन के भावी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की विवरणी :–

1. भारत–नेपाल सीमा के समानान्तरण पथ निर्माण।

2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)।

3. अररिया–गलगलिया नई बड़ी रेल लाईन।

4. दरभंगा–कुशेश्वर स्थान नई बड़ी रेल लाईन।

5. गया–चतरा नई बड़ी रेल लाईन।

16. <u>चकबन्दी</u> :

जोतों की चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्त्तमान में राज्य के 5 जिलों के निम्नलिखित कुल 39 अंचलों में सक्रिय रूप से कार्य जारी है –

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमरांव	1. मोहनिया	1. सासाराम	1. कटैया
2.संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभूआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. ईटाढ़ी	3. चांद	3. नासरीगंज	
4. बिहीया	4. सिमरी	4. भगवानपुर	4. काराकाट	
5. बड़हरा	5. नवानगर	5. दुगावर्त्ती	5. विक्रमगंज	
6. उद्वन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ़	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनारी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

वर्ष, 2013–14 में 150 ग्रामों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर उन्हें चकबन्दी अधिनियम की धारा–26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्वर्गो के कुल 745 कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर करने की कार्रवाई की जा रही हैं। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में 21 ग्रमों में चकबंदी कार्य पूर्ण कर अधिनियम की धारा 26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु 1600 लाख (सोलह करोड़) रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

17. <u>बिहार लोक सेवाओं का अधिकार</u> :

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु आकस्मिक व्यय के लिए राशि की आवश्यकता होगी । उक्त राशि से बिहार लोक

सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के कार्यान्वयन हेतु डिसप्ले बोर्ड का अधिष्ठपन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/जेनरेटर के ईधन पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों के कार्यो पर व्यय किया जाएगा।

18. <u>भू–दान</u> :

राज्य अन्तर्गत भू–दान से प्राप्त भूमि का वितरण बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के माध्यम से किया जाता है। राज्य में भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 (छः लाख अड़तालीस हजार पांच सौ तिरानवे दशमलव चौदह) एकड़ में से 3,45,349.02 (तीन लाख पैंतालीस हजार तीन सौ उनचास दशमलव शून्य दो) एकड़ भूमि सम्पुष्ट की गयी है। अभी तक 2,55,963.61 (दो लाख पचपन हजार नौ सौ तिरेसठ दशमलव एकसठ) एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 6949.62 (छः हजार नौ सौ उनचास दशमलव बासठ) एकड़ भूमि के वितरण का कार्य कमिटी द्वारा किया जा रहा है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिससे भूदान भूमि के वितरण एवं इससे जुड़े अन्य कार्यो पर व्यय की प्रतिपूर्ति होती है। वर्ष 2012–13 में भूदान यज्ञ कमिटी को सहाय्य अनुदान मद में 1,43,78,000 (एक करोड़ तैंतालीस लाख अठ्हत्तर हजार) रूपये का बजट उपबंध किया गया है। वर्ष 2013–14 में भूदान यज्ञ कमिटी के लिए सहाय्य अनुदान हेतु 1,43,78,000 (एक करोड़ तैंतालीस लाख अठ्हत्तर हजार) रूपये मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

19. <u>कृषि गणना</u> :

कृषि गणना अन्तर्गत कृषि अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पहलुओं तथा जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल, भू–उपयोग,सिचाई की स्थिति, फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल आदि से संबंधित ऑकड़े संग्रहीत किए जाते हैं जो योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोगी हैं। इस प्रक्षेत्र में गैर योजना मद में स्थापना अन्तर्गत 12.86 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

कृषि गणना 2010–11 के प्रथम चरण का कार्य यथा ऑपरेशनल होल्डिंग की संख्या एवं क्षेत्रफल से संबंधित ऑकड़ों का संकलन कार्य पूरा हो चुका है। कृषि गणना का द्वितीय चरण का कार्य प्रगति में है। यह प्रयास है कि कृषि गणना का कार्य ससमय संपन्न करा लिया जाएगा।

केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना कृषि गणना अन्तर्गत योजना मद में वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 58 लाख व्यय का अनुमान है जो मुख्यतः स्थापना मद में वेतन/भत्ते तथा प्रपत्रों के मुद्रण आदि पर व्यय किया जाना है।

20. बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वावधान में मेलों का आयोजन (2012–13) : वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वावधान में निम्नांकित मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु दिए गये आवंटन की स्थिति :–

क्र0	मेला का नाम	जिला पदाधिकारी को आवंटित राशि
1	हजरत मौलाना हफीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 100 वॉ उर्स,कटिहार	85000
2	श्रावणी मेला, भागलपुर	5000000
3	श्रावणी मेला, बेगूसराय	1175000
4	श्रावणी मेला बॉका	3175000
5	श्रावणी मेला, अरेराज, पू0 चम्पारण	635000
6	श्रावणी मेला, जमुई	675000
7	श्रावणी मेला, लखीसराय	2100000
8	बाबा गरीब नाथ, श्रावणी मेला, मुजफ्फरपुर	2175000
9	बाबा दुधनाथ,श्रावणी मेला, मुजफ्फरपुर	1000000
10	पितृपक्ष मेला, पुनपुन, पटना	500000
11	पितृपक्ष मेला, गया	2500000
12	बाबा चौहरमल मेला,घोसवरी,पटना	1500000
13	सिमरिया मास मेला, बेगूसराय	696611
14	मलमास मेला, राजगीर	800000
15	श्रावणी मेला, मुंगेर	1775000
16	श्रावणी मेला, बेगुसराय 2011–12	671970
17	बाबा गरीब नाथ श्रावणी मेला, मुजफ0 2011–12	620000
18	बाबा गणिनाथ मेला, बुढ़रा, अथमलगोला 04 CWJC No. 2426/06	358377
19	बाबा उमानाथ मंदिर, माघी एवं महाशिवरात्री मेला CWJC No. 2427/06	551089
20	बाबा दुधनाथ महादेव मंदिर, महाशिवरात्री मेला, मुजफ्फरपुर 2011–12	442000
21	बाबा गरीबनाथ माघी पूर्णिमा, मुजफ0 2011–12	531959
22	बाबा गरीबनाथ महाशिवरात्री मेला, मुजफ0	297500
23	श्री ऋंगी ऋषिधाम मंदिर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय माघी पूर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला।	1276568
24	बाबा इन्द्रदमनेश्वर महादेव मंदिर, माघी पूर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला 2011–12	1281950
25	बाबा हरिगिरीधाम माघी पूर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला 2011–12 बेगुसराय	1260000
26	पुनपुन खरमास मेला 2011–12	804200
27	देव छठ मेला, औरंगाबाद	677918
28	सिमरिया मास मेला, बेगुसराय 2011–12	197258
29	बाबा हरिगिरीधाम श्रावणी मेला, बेगुसराय 2011–12	907600
	कुल योग	33670000 (तीन करोड़ छतीस लाख सतर हजार) मात्र

21. **वित्तीय वर्ष 2013–14 में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं तथा एतदर्थ उपबंधित राशि की जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहूँगा।**

क्र0	योजना का नाम	राशि (रूपये लाख में)
1	भू–अभिलेखों का अदयतनीकरण	5500.00
2	जोतों की चकबंदी	1600.00
3	भूमिहीनों के लिए वासगीत भूमि/सम्पर्क सड़क	600.00
4	महादलित विकास योजना	3050.13
5	भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय/कार्यालय निर्माण की योजना	121.80
6	कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजनों के लिए सभी जिला मुख्यालयों/अनुमंडल मुख्यालयों/ प्रखंड मुख्यालयों में **भूमि बैंक योजना**	54.72
	योग–	**10926.65 (एक अरब नौ करोड़ छब्बीस लाख पैंसठ हजार)**

गैर योजना एवं योजना मद में प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है।

(क)	गैर योजना मद में प्रस्तावित राशि :–	5179378000	(पांच अरब सतरह करोड तेरानवे लाख अठहतर हजार)
(ख)	राज्य योजना :–	1092665000	(एक अरब नौ करोड़ छबीस लाख पैंसठ हजार)
(ग)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना :–	36600000	(तीन करोड छियासठ लाख)
(घ)	केन्द्रीय योजनागत योजना :–	5800000	(अनठावन लाख)
	कुल योग :–	**6314443000**	**(छः अरब एकतीस करोड़ चौवालीस लाख तेतालीस हजार)**

इस प्रकार राजस्व प्रशासन के द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्धियों को प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हमे आशा है कि अपने इस प्रयास में लक्ष्य के अनुरूप ही नहीं बल्कि उस से अधिक सफलता प्राप्त करेंगें।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए रूपये 6,31,44,43,000 (छः अरब एकतीस करोड़ चौव्वालीस लाख तैतालीस हजार) से अनाधिक राशि प्रदान की जाय।

धन्यवाद !

Printed at : INDIAN ARTS OFFSET, Basement of S.B.I, Mahendru, Patna - 6
Ph. : (O) 267 8074, (M) 94310 11172, E-mail : indianartsoffset@yahoo.com